

**\*प्रेस विज्ञप्ति\***

**\*दिनांक 20.09.2026\***

**\*जनपद-भदोही\***

**\*भदोही पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हाईवे पर गाड़ियों से डीजल चोरी करने वाले अंतर्जनपदीय गिरोह के शातिर गैंगस्टर अभियुक्त को गाजियाबाद से किया गया गिरफ्तार\***

.....

**\*घटना/गिरफ्तारी का विवरण:-\***

राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों से डीजल चोरी वाला एक संगठित आपराधिक अंतर्जनपदीय स्तर पर सक्रिय एक शातिर गिरोह है। यह गिरोह अपने तथा अपने सदस्यों के आर्थिक, भौतिक एवं अनुचित लाभ हेतु हाईवे रोड पर सुनसान स्थानों पर खड़ी गाड़ियों के डीजल टैंक का लॉक तोड़कर डीजल चोरी करने का अपराध करता था। इस संगठित गैंग के संबंध में थाना गोपीगंज पर मु०अ०सं० 98/26 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें यह शातिर अभियुक्त लंबे समय से फरार चल रहा था। दिनांक 19/09/2026 को थाना गोपीगंज पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए, अंतर्जनपदीय गैंगस्टर अभियुक्त नूर नवी को उसके वर्तमान पते रसूलपुर सिकरोड़ा, थाना मसूरी, जनपद गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-\***

नूर नवी पुत्र स्व० नूर इस्लाम, उम्र करीब 41 वर्ष, वर्तमान पता रसूलपुर सिकरोड़ा, थाना मसूरी, जनपद गाजियाबाद, 3090।

स्थायी पता- दाइतरा वीर मंदिर के पास छोटालालपुर, थाना लालपुर पाण्डेयपुर, जनपद वाराणसी, 3090।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास\***

1. मु०अ०सं० 277/25 धारा 303(2), 109(1)/133/317(2)/317(4) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना गोपीगंज, जनपद भदोही।

2. मु०अ०सं० 487/23 धारा 379, 411 भादवि, थाना धूमनगंज, जनपद प्रयागराज।

**\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-\***

30नि० नथुनी सिंह यादव, हे०का० रामबिहारी सरोज एवं का० सुनील वर्मा, थाना गोपीगंज, जनपद भदोही।